राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमाकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 4575-4814 दिनांकः 9/03/2023

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका ,
समस्त राजस्थान।

विषयः– इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत मेटो के नियोजन एवं प्रशिक्षण आयोजित कराने बाबत्।
प्रसंगः– विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 09.06.2022.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मेटो को नियोजन किए जाने बाबत् विस्तृत निर्देशित किया गया था। पुनः उक्त क्रम में मेटो के नियोजन किये जाने बाबत् निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

क्र.सं.	श्रमिकों की संख्या	मेटो की संख्या	विशेष विवरण
1.	20 तक	01	**10 या इससे कम श्रमिक होने की स्थिति में मेट का नियोजन नहीं किया जावेगा। मस्टरोल में अंकित श्रमिकों मे से किसी एक श्रमिक को उपस्थिति दर्ज करने हेतु पाबंद किया जावे।**
2.	21 से 40 तक	02	प्रत्येक **20** श्रमिकों **पर एक अतिरिक्त** मेट **उपलब्ध करवाया जावेगा।**
3.	41 से 60 तक	03	

योजनान्तर्गत मेटो का नियोजन रोटेशन के आधार पर तैयार किये गये पैनल में से किया जावेगा। मेट पैनल में चिहिन्त प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता तब तक किसी मेट को पुनः कार्य पर नियोजित नहीं किया जावेगा। पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा उपलब्ध पैनल के अनुसार किया जावे। महिला मेटों के सम्बन्ध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को ही निरन्तर रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट को यथा सम्भव नियोजित नहीं किया जावे। मेट के नियोजन में महिला प्राथी को प्राथमिकता देते हुए नियोजित किया जावें। नियोजित महिला मेट को आगामी पखवाड़े में पैनल में स्थित दूसरी महिला मेट से ही यथा सम्भव परिवर्तित किया जावे। **मेटो को 100 दिवस से ज्यादा नियोजित नहीं किया जावें।**

1. **मेट का चयन :–** आई.आर.जी.वाई. पोर्टल / कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाकर मेटो के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर मेरिट के आधार पर वरियता अनुसार मेटो का पैनल तैयार किया जावे।
2. **योग्यता :–** मेट की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :–
   I. पुरूष मेट न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
   II. महिला मेट 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
   III. आवेदनकर्त्ता उसी परिवार का सदस्य हो जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत है।

3. **प्राथमिकता :–** मेटो को प्रशिक्षण दिया जाकर नियोजित किया जावें। अप्रशिक्षित मेटो का नियोजन नहीं किया जायेगा।

4. **प्रशिक्षण**

चयनित मेटो के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी का होगा। **यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी अप्रशिक्षित मेट का नियोजन दिनांक 01.04.2023 से नहीं हो। निकाय स्तर पर चयनित मेटो का एक दिवसीय प्रशिक्षण निकाय स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के द्वारा दिया जावेगा।** जिसमें मेटो को योजना के क्रम में जानकारी,

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा देय मजदूरी की जानकारी, श्रमिको की मस्टरोल में उपस्थिति दर्ज किये जाने, श्रमिको को कार्य पर नियोजित किये जाने, श्रमिको को आवंटित टास्क अनुरूप कार्य सम्पादित किये जाने, श्रमिको द्वारा किये गये कार्य की माप किये जाने, कार्यस्थल पर श्रमिकों हेतु पेयजल एवं छाया आदि की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रतिदिन मस्टरोल में दर्ज श्रमिको की हाजरी की सूचना सम्बन्धित निकाय के कनिष्ठ तकनीकी सहायक/एम.आई.एस. मैनेजर के मोबाईल नम्बर पर व्हाटसअप द्वारा भिजवाना एवं पखवाड़ा समाप्ति के उपरांत प्राप्त मस्टरोलस को सम्बन्धित कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता अथवा निकाय में जाकर जमा करायें जाने बाबत् एवं मेटों को सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के टास्क की जानकारी आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के दोरान विवरण उपलब्ध कराया जाकर प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करावे। किसी भी कार्य पर मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए सम्बन्धित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका स्वयं ही जिम्मेदार होगे।

दिनांक 14.03.2023 को उक्त प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/ 4815-4832 **दिनांकः** 09/03/2023
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
5. समस्त अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता ....।
6. स्टेट एम.आई.एम. मैनेजर (IRGY) को भेजकर लेख है, कि आदेश को IRGY पोर्टल पर अपलोड की जाने बाबत्।
7. सुरक्षित पत्रावली।

8/3/23
परियोजना निदेशक (IRGY-U)